

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 711]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2020 — पौष 10, शक 1942

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 नवम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-73/2011/20-3. — निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) की धारा 2 के खंड (ड) में, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा राज्य के असुविधाग्रस्त समूह के बालको के अर्थ को अधिसूचित करने के लिए विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 13-73/20-3/2011 दिनांक 23 अगस्त 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :-

खण्ड (ड) के पश्चात निम्नलिखित जोड़ी जाये, अर्थात् :-

- (च) सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में राज्य में स्वतः शामिल सूचकांक के आधार पर शामिल निम्नलिखित समस्त परिवार के बच्चे :-
1. बेघर परिवार,
 2. निराश्रित या भिक्षुक परिवार,
 3. मैला ढोने वाले परिवार,
 4. कानूनी रूप से विमुक्त किए गए बंधुआ मजदूर के परिवार,
- (छ) सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में राज्य में निर्धारित 7 वंचन सूचकांक के आधार पर शामिल निम्नलिखित समस्त परिवार के बच्चे, अर्थात् :-
1. कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ एक कमरे में रहने वाले परिवार.
 2. ऐसे परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है.
 3. महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है.
 4. ऐसे परिवार जहां 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क साक्षर नहीं है.
 5. भूमिहीन परिवार जो अपनी ज्यादातर कमाई दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करते हैं.

No. F 13-73/2011/20-3. — In exercise of the power conferred by clause (d) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (N. 35 of 2009), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Department's notification No. F. 13-73/20-3/2011, Dated 23rd August 2011, in "Child Belonging to disadvantaged group" shall notifying :-

AMENDMENT

In the said notification :-

Following clause (e), the following should be added, namely :-

(f) The children of all the following families included on the basis of the index included in the state in the Socio Economic and Caste Census 2011 :-

1. Homeless Family.
2. A destitute or beggar family.
3. Scavenging families.
4. Family of bonded labor legally released.

(g) The children of all the following families included on the basis of 7 deprivation indicators determined in the state in the socio- economic and caste census 2011 :-

1. A family living in a room with rough walls and rough ceilings.
2. Families in which there is no adult member between the ages of 16 and 59 years.
3. Women-headed families, which do not have an adult male member between the age of 16 and 59 years.
4. Families where no literate adult is more than 25 years of age.
5. Landless families who get most of their income from daily wages.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष कुमार भट्ट, सचिव.